हुक्म

नियम गया।

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021

दिनांक 9-10-21

निर्णय

नि.नं.
26/2021

पक्ष बनाम प्रेमनारायण वगैरह

संक्षिप्त के मामला इस प्रकार है कि ग्राम बिनायका पटवार हल्का बिनायका तहसील-पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में ख.नं. 407 रकबा 1.97 हे., ख.नं. 537 रकबा 7.22 हे., ख.नं. 538 रकबा 4.78 हे., ख.नं. 539 रकबा 3.87 हे., ख.नं. 573 रकबा 0.91 हे., ख.नं. 651 रकबा 0.30 हे., ख.नं. 655 रकबा 0.04 हे., कुल किता 7 रकबा 19.09 हे. भूमि के वादीगण के पितामह तथा प्रतिवादी क्र. 1 ता 4 के पिता रामकरण का 1/6 हिस्सा निहित था। रामकरण 3 पुत्र वादीगण के पिता गिरीराज, प्रतिवादी क्र. 1, 2 एवं 2 पुत्रियाँ प्रतिवादी क्र. 3, 4 हैं। पक्षकारों की मीना (अनुसूचित जनजाति) जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से पुत्र होने की स्थिति पिता की सम्पत्ति में पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रतिवादी पक्ष 3, 4 का कोई हित निहित नहीं है।

यह कि आपसी समझाईश तथा लोक न्यायालय की प्रेरणा से तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान के आपसी सहमति से वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य समझौता कर लिया गया है। राजीनामा शा. फाईल है।

प्रस्तुत समझौता अनुसार उपरोक्त विवादित आराजी के प्रतिवादी क्र. 2 श्यामसुन्दर, प्रतिवादी क्र. 3 मन्नी तथा प्रतिवादी क्र. 4 गायत्री के हिस्से की कृषि वादीगण 1, 02 के हक में समान रूप से दर्ज कर दी जावें।

प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद पत्र आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रशासन गांवों के संग अभियान के निर्धारित पत्र के डिक्री पृथक से जारी की गई। पत्रावली पटाक्षेप हेतु दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9-10-21 को प्रशासन गांवों के अभियान के अंतर्गत आम के समक्ष सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा (राज.)

अंगूठा लगाया
अंगूठा लगाया

सरपंच
ग्राम पंचायत
प.स. इटावा

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....दूदापा.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– .....(दूदापा) रामावतार मीना (RAS)

.....मुकेश पप्पू वगै०..... उनवान बनाम .....प्रेमनारायण वगै०.....

दावा बाबत .....88,89,188 Rt act.....

मुकदमा नम्बर – 26/21

निर्णय दिनांक – 9/10/21

वादी की ओर से .....राजेन्द्र मीना एडवो०.....की व प्रतिवादी की ओर से .....स्वयं.....

की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख.....9/10/21.....को.....केम्प.....(नाम पीठासीन अधिकरी)

.....विनायका (ACM दूदापा).....के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है

और डिक्री की जाती है कि –

.....वादीगण का वाद मुलाकिक राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है उभयपक्ष की सहमति से प्रतिवादी क्र. 2 शाकुन्तल पति क्र. 3 मन्नी, पुत्री क्र. 4 गायत्री, के हिस्से की भूमि वादीगण 1 व 2 के हक में समान रूप से दर्ज कि जावे।.....

खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख.....9/10/21.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रभारी अधिकारी
लोक अदालत-2021)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर के लिए फीस साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	